लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर के माह 02/2013 से माह 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/05/2016 से 26/05/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष	आयोजनेतर	आयोजनागत

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस विभाग की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री ए॰के॰ भारतीय एवं सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16/02/2013 से 22/02/2013 तक श्री आर॰एस॰ नेगी ले.प.अ. के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 16/03/2013 से 22/02/2013 तक में सम्पन्न हुयी थी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्षो नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. डा॰ पी॰वी॰ काण्डपाल 14/07/10 से 14/10/13
2. डा॰ जमन राम 15/10/13 से 16/06/15
3. डा॰ उदय शंकर 17/06/15 से वर्तमान तक

3. अप्रस्तुत अभिलेखः- चारा बैंक कपकोट की रोकड़ पंजिका, भेड़ पालन केन्द्रों का आय व्यय विवरण पंजिका एवं भेड़ों की खाल बिक्री संबंधी अभिलेख।

4. सतत अनियमिततायेः-

5. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय

(धनराशि रु.में)

	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2012-13	16109000	15999618	16322500	16313559
2013-14	15977000	15960005	30756750	30648767
2014-15	17128000	16878877	31105977	30906474
2015-16	18322965	18253719	26913394	26913023

भाग 2(ब)

प्रस्तर-1 `35.62 लाख की अग्रिम दी गई धनराशि के समायोजन वाउचरो का प्राप्त न किया जाना।

Financial handbook Vol.-V (part-1) के प्रस्तर-162 के अनुसार कोषागार से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जाती है जब तक उस व्यय की तुरंत आवश्यकता न हो। शासकीय धनराशि का अग्रिम आहरण इसलिए नहीं किया जाता की बजटीय प्रावधान समाप्त न हो जाए

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न योजनाओ/मदों में प्राप्त धनराशि जिसे अनुसूचित जाति के लाभार्थी रोजगार परक ओर कुक्कुट पालन, बछिया पालन, का अग्रिम आहरण करके संबन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी को व्यय करने हेतु उपलब्ध कराई गयी धनराशि के समायोजन वाउचर उपलब्ध नहीं थे। जबकि यह वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबन्धित धनराशि है।

वित्तीय नियम अनुसार यह प्रावधान है कि किसी भी अग्रिम दी गयी धनराशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष मे हो जाना चाहिए। अन्यथा उसकी वसूली न होने के दशा में विविध अग्रिम में दर्शाते हुए भू -राजस्व की तरह वसूली करनी चाहिए।

इस संबंध मे पूछे जाने पर कार्यालय ने बताया कि समायोजन वाउचर अगले लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं हैं, क्योंकि समायोजन वाउचर प्राप्त किए बिना ही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के अंत मे दर्शाते हुए रोकड़ बही शून्य करके बंद .कर दिया जाना वित्तीय नियमो के विरुद्ध था।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

1. ` 2.85 करोड़ की औषधि/रसायन का अनियमित क्रय करना।

शासन के पत्रांक संख्या 763/XV-1/12/7(14)/11 दिनांक 18/07/2012 एवं शासन के पत्रांक संख्या 1637/XV-1/13/7(14)/11 दिनांक 06/12/2013 औषधि/रसायन/उपकरण को क्रय करने हेतु क्रय नीति जारी की गयी थी। जिसमे स्पष्ट अवगत कराया गया था कि निम्नलिखित सामग्री का क्रय सामग्री गुणवत्ता जांच एवं अनुमोदित की गयी विनिर्माता फार्मो को शासकीय धन का भुगतान करना बताया था।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक पशुओं को जान की सुरक्षाओं के लिए कुल `2,84,85,938.00 की औषधियों/रसायन का क्रय किया गया था। क्रय औषधि/रसायन बिलों एवं भण्डारण/निर्गमन पंजिका से

स्पष्ट हुआ कि जिन औषधियों/रसायन का क्रय किया गया है उन औषधियों/रसायन की कोई भी प्रमाणिकता नहीं थी। क्योंकि क्रय बिलों में बैच संख्या, सामग्री निर्माण की तिथि एवं अवसान तिथि अंकित नहीं थी । जबकि औषधि/रसायन के बिलों में इतने महत्वपूर्ण बिन्दुओं का होना अति आवश्यक था परन्तु औषधि/रसायन स्टोर कीपर द्वारा तथ्यों का संज्ञान लिए बिना ही भंडारण कर सभी औषधियों/रसायनो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये बिना भी संबन्धित पशु चिकित्सालयों को वितरित कर दी तथा क्रय बिलों का सत्यांपन कर भुगतान करने हेतु प्रेषित कर दिये थे। लेखा विभाग द्वारा भी बिल को प्रमाणिकता सुनिश्चित किए बिना ही एक मुश्त 100% भुगतान वितरक/बिचौलिय फर्मो को कर दिया गया था।

इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि ऑडिट आपत्ति स्वीकार करने योग्य है। भविष्य में शासन/निदेशालय द्वारा जारी औषधि/रसायन क्रय नीति में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करते हुए ही विनिर्माता फ़र्मों से सीधे औषधि/रसायन प्राप्त किया जाएगा तथा प्राप्त सामग्री गुणवत्ता जांच रिपोर्ट पर 90% एवं 10% भुगतान भी सीधे मूल निर्माता उत्पादक फर्मो को ही करा जाएगा।

विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष औषधि/रसायन के क्रय करने हेतु मूल उत्पादक फर्मो की सामग्री एवं दरें गुणवत्ता जांच के आधार पर अनुमोदित की जाती है तथा अनुमोदित दवा/ रसायन की सूची दरों सहित मूल उत्पादक फर्म का नाम पता, दूरभाष संख्या, सहित जनपद के आहरण वितरण कार्यालय को प्रेषित की जाती है ताकि शासन /निदेशालय के उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करके ही शासकीय धन का व्यय किया जाए। परंतु आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय के अधिनस्थ स्टोर द्वारा क्रय नीति की उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना ही वितरक/बिचौलिया फर्मो से बिना बैच संख्या, उत्पादन की तिथि एवं अवसान तिथि वाली अधोमानक औषधियों/रसायन का क्रय कर लिया गया था

अतःप्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

STAN

2. **` 86.66 लाख अग्रिम दी गई धनराशि के समायोजन वाउचरो का कार्यालय में प्राप्त न किया जाना।**

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड V के भाग 7 के प्रस्तर 162 के अनुसार कोषागारसे कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक की उसके व्यय की तुरंत आवश्यकता न हो। शासकीय धनराशि का अग्रिम आहरण इसलिए नहीं करना चाहिए कि बजटीय प्रावधान समाप्त न हो जाए।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राजकीय कोषागार से विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि सामान्य SCP,TSPका अग्रिम आहरण करके संबन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी को व्यय करने हेतु उपलब्ध कराई गई थी। परंतु लेखापरीक्षा अवधि तक अग्रिम उपलब्ध कराई गई धनराशियों को समायोजन वाउचर कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुके थे जबकि वित्तीय नियमानुसार यह प्रावधान है कि किसी भी अग्रिम दी गई धनराशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में हो जाना चाहिए अन्यथा उसकी वसूली न होने कि दशा में विविध अग्रिम में दर्शाते हुए भू-राजस्व की तरह वसूली करनी चाहिए।

इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि समायोजन वाउचरो को प्राप्त करने हेतु समय -2 पर मीटिंग्स में चेतावनी जारी की जाती है शीघ्र ही प्राप्त कर लिए जायेंगे

विभागीय उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि समायोजन वाउचर प्राप्त किए बिना ही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के अंत में दर्शाते हुए रोकड़ बही शून्य करके बंद कर दिया जाना वित्तीय नियमो के विरुद्ध था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर** प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II